रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 130] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 1972/ज्येष्ठ 18, 1894

No. 130] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 1972/JYAISTHA 18, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 8th June 1972

SUBJECT:—*Border trade with Bangladesh.*

No. 79-ITC(PN)/72.—The Trade Agreement between the Governments of India and Bangladesh for the period from 28th March 1972 to 27th March 1973 contains, *inter alia*, in Article IV of the Agreement and Schedule 'B' relevant thereto, a provision for border trade in specified areas, in respect of specified commodities and upto specified quantities. Article IV and Schedule 'B' of the Trade Agreement are reproduced as an Appendix to this Public Notice.

2. Border trade between India and Bangladesh in accordance with these provisions will be free from import and export trade control.

APPENDIX

Provisions relating to border trade between India and Bangladesh.

Article IV

In order to meet the day to day requirements of the people living within a sixteen kilometre belt of the border between West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram on the one hand and Bangladesh on the other, and with a view to providing facilities to these people to dispose of their goods, border trade shall be allowed in specified commodities in accordance with Schedule 'B' attached to this Agreement.

SCHEDULE B

Provisions relating to border trade referred to in Article IV of the Agreement.

1. These facilities shall apply to the trade across the land customs frontiers between West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram on the one hand and Bangladesh on the other.

2. These facilities shall be available only to persons living in areas, other than municipal areas, within sixteen kilometres of the land customs frontiers and holding special permits issued by their respective competent authority.

3. Every person holding such a special permit may carry across the border in each sector only such goods and commodities and in such quantities as are specified, in the annexure to this schedule and for this purpose may cross the border only once a day in each direction on any two specified days of a week and only through such routes as may be authorised in this behalf. If market conditions in a locality justify relaxation of the number of days in a week on which persons holding special permits may cross the border in that locality, the additional days shall be mutually agreed between the concerned competent authorities in the two countries.

4. The carriage of such goods shall be free from import, export and exchange control restrictions as well as customs duty and customs formalities.

5. Each person may carry in cash a sum not exceeding rupees one hundred in Bangladesh or Indian currency when crossing the border from either country into the other.

6. Either Government may maintain such checks and take such preventive measures including the right to search as are considered necessary to ensure that these concessions are not exceeded or abused.

7. These arrangements shall be subject to review after a period of six months to consider whether they should be extended or amended in any way. If even before the expiry of this period of six months either country feels the need to withdraw or modify the facilities under this Agreement, it would enter into immediate consultations with the other country taking such measures as it may consider necessary.

ANNEXURE TO SCHEDULE 'B'

I. *Mizoram-Chittagong Hill Tracts Sector*

Mizoram to		Chittagong to	
Name of Commodities	Quantities allowed to be carried	Name of Commodities	Quantities allowed to be carried
1. Til seeds	Head load	1. Gur	Head load
2. Raw cotton	,, ,,	2. Onion and Garlic	,,
3. Chillies	,, ,,	3. Fish, Fresh and dried	,,
4. Forest Produce (including timber unclassed agar wood, cane, thatching grass, fire wood and bamboos).	Boat load raft or cart load	4. Poultry and eggs	,,
		5. Vegetables including potatoes	,,
		6. Fresh fruits	,,
		7. Chhana and sweetmeats	1 kilogram
5. Fresh fruits	Head load	8. Betel nuts	1/2 kilogram
6. Milk and Milk Products	,,	9. Betel leaves	Head load
		10. spices	2 kilograms
		11. Earthen-ware	Head load
		12. Tea	1/2 Kilogram

II—Khasi, Jaintia and Garo Hills—Sylhet Mymensingh Sector

For export from Khasi, Jaintia and Garo Hills to Sylhet and Mymensingh		For export from Sylhet and Mymensingh to Khasi, Jaintia Hills and Garo Hills.	
Name of Commodities	Quantities allowed to be carried	Name of Commodities	Quantities allowed to be carried
1. Fresh fruits . . .	.Head load	1. Fish, fresh and dried	Head load
2. Vegetables including potatoes	,,	2. Poultry and eggs	,,
3. Forest produce including timber unclassed agarwood, cane, thatching grass, firewood and bamboos)	Boat load raft or cart load	3. Vegetables	,,
		4. Betel nuts	One kilogram
		5. Botel leaves	Head load
		6. Spices	2 Kilograms
4. Ginger, Turmeric, Chillies and Tejpatta	Head Load	7. Chhana and sweetmeats	1 Kilogram
		8. Fresh fruits	Head load
5. Onions	,,		
6. Tapioca	,,		
7. Milk and Milk products	,,		
8. Lime and lime stone	,,		
9. Shingles and boulders	Boat, raft or cart load		
10. Sand	,,		
11. Betel leaves	Head load		
12. Mustard Oil	1 Kilogram		
13. Mustard seed	Head load		

III—*Cachar—Sylhet Sector*

For export from Cachar to Sylhet		For Export from Sylhet to Cachar	
Name of Commodities	Quantities allowed to be carried	Name of Commodities	Quantities allowed to be carried
1. Forest produce (including timber unclassed agarwood, cane, thatching grass, firewood and bamboos)	Boat load. raft or cartload	1. Fish, fresh and dried	Head load
		2. Poultry and eggs	,,
		3. Soap (washing)	1/2 Kilogram
2. Kerosene oil	One Bottle	4. Spices including ginger	2 kilograms
3. Vegetable (including potatoes)	Head load	5. Onion & Garlic	Head load
		6. Fesh fruits.	,,
4. Milk and Milk Products.	,,	7. Vegetables	,,
5. Soap (washing)	1/2 Kilogram	8. Chhana and Sweetmeats	1 Kilogram

IV—*Tripura—Bangladesh Sector*

For export from Tripura to Bangladesh		For export from Bangladesh to Tripura	
Name of Commodities	Quantities allowed to be carried	Name of Commodities	Quantities allowed to be carried
1. Vegetables (including potatoes)	Head load	1. Poultry and eggs	Head load
2. Milk and Milk Products	,,	2. Chhana and sweetmeats	1 kilogram
3. Forest produce (including Timber unclassed agarwood, cane, thatching grass, firewood and bamboos)	Boat load, raft or cart load	3. Fish, fresh and dried	Head load
		4. Vegetables	,,
		5. Onion and Garlic	,,
		6. Coconut (dry and green)	,,
4. Till seeds	Head Load	7. Fresh fruit	,,
5. Fresh fruits	,,	8. Gram & Pulses	,,
6. Gram and pulses	,,	9. Betel leaves	,,
7. Kerosene	1 bottle	10. Spices	2 kilograms

V—*Rangpur (Bangladesh)—Assam (Bordering District) Cooch Behar/Jalpaiguri (West Bengal) Sector*

Export from Assam (bordering district to Rangpur), Cooch Behar, Jalpaiguri (West Bengal) to Rangpur (Bangladesh)		Export from Rangpur (Bangladesh) to Assam (Bordering district to Rangpur). Cooch Behar, Jalpaiguri (West Bengal)	
Name of commodities	Quantities allowed to be carried	Name of commodities	Quantities allowed to be carried
1. Fresh fruits	Head load	1. Fish	Head load
2. Vegetables (including potatoes)	,,	2. Poultry and eggs	,,
3. Spices	2 kilograms	3. Tobacco	1 kilogram
4. Firewood	Head load	4. coconuts	Head load
5. Milk and milk products	,,	5. Betel leaves	,,
6. Tobacco	1 kilogram	6. Spices	2 kilograms
7. Washing Soap	1/2 kilogram	7. salt	1 kilogram
8. Bamboo	Boat Load, raft or cart load	8. Fodder for cattle	Head load
9. Mustard Oil	1 kilogram	9. Bamboo	Head load, raft or cart load
10. Mustard seed/ rape seed	Head load	10. Thatching grass	,,
11. Coconut oil	1 kilogram	11. Hogla leaves	Head-load
		12. Firewood	,,
		13. Gur	,,
		14. Chhana and Sweetmeats.	,,

VI—*Rest of Bangladesh—Rest of West Bengal*

Export from West Bengal to Bangladesh		Export from Bangladesh to West Bengal	
Name of Commodities	Quantities allowed to be carried	Name of Commodities	Quantities allowed to be carried
1. Fresh fruits	Head load	1. Fish	Head load
2. Vegetables	,,	2. Poultry and eggs	,,
3. Spices	2 kilograms	3. Coconuts	,,
4. Milk and Milk Products	Head load	4. Spices	2 kilograms
5. Gram and Pulses	,,	5. Betel leaves	Head load
6. Gur	,,	6. Fodder for cattle	Head Load
7. Firewood	Boat load, raft or cart load	7. Golpatta	,,
8. Bamboo	,,	8. Chhana and sweetmeats	,,
9. Thatching Grass	,,	9. Fresh fruits	,,
10. Simul Cotton	Head load	10. Vegetables	,,
11. Mustard Oil	1 kilogram	11. Hogla leaves	,,
12. Mustard seed/rape seed	Head load	12. Firewood	,,
13. Coconut oil	1 kilogram	13. Broomsticks	,,
		14. Simul cotton	,,
		15. Gur	,,
		16. Bamboo	Boat, raft or cart load
		17. Thatching Grass	,,

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 8 जून 1972

विषय : बांगलादेश के साथ सीमा–व्यापार

सं० 79–आई०टी०सी० (पी०एन०/72).—28 मार्च, 1972 से 27 मार्च, 1973 की अवधि के लिए भारत सरकार तथा बांगला देश के बीच का करार अन्य बातों के साथ साथ करार के अनुच्छेद 4 में तथा तत्संम्बन्धी उसकी अनुसूची 'बी' में, विशेष पण्यवस्तुओं के संम्बन्ध में और विशेष मात्रा में, विशेष सीमाओं के भीतर सीमा व्यापार के लिए व्यवस्था शामिल करता है। व्यापार करार के अनुच्छेद 4 को तथा अनुसूची 'बी' को इस सार्वजनिक सूचना के लिए अनुबन्ध के रूप में पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

2. इन व्यवस्थाओं के अनुसार, भारत और बांगला देश के बीच का सीमा व्यापार आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण से मुक्त होगा।

अनुबन्ध

भारत और बांगला देश के बीच सीमा व्यापार से सम्बन्धित व्यवस्थाएं।

अनुच्छेद 4

एक तरफ से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोराम और दूसरी तरफ से बांगला देश के बीच की सीमा के 16 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोगों की दिनप्रतिदिन की जरुरतों को पूरा करने के विचार से तथा इनके माल का निपटान करने के लिए इन लोगों को सुविधा प्रदान करने के विचार से इस करार में संलग्न अनुसूची 'बी' के अनुसार विशेष पण्यवस्तुओं के लिए सीमा व्यापार की स्वीकृति दी जाएगी।

अनुसूची बी

करार के अनुच्छेद 4 में उल्लिखित सीमा व्यापार से संम्बन्धित व्यवस्थाएं।

1. ये सुविधाएं एक तरफ से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोराम तथा दूसरी तरफ से बांगला देश के बीच की स्थल सीमाशुल्क सीमाओं को पार कर किए जाने वाले व्यापार में लागू होंगी।

2. ये सुविधाएं निगम इलाके को छोड़ कर केवल उन्हीं व्यक्तियों को उपलब्ध होंगी जो स्थल सीमाशुल्क सीमाओं के 16 किलोमीटर के भीतर रह रहें हैं और जिनके पास उससे संम्बन्धित समर्थ प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए विशेष अनुमति पत्र हैं।

3. इस प्रकार के विशेष अनुमति पत्र को धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्षेत्र की सीमा में ऐसे माल और पण्यवस्तुओं तथा ऐसी मात्रा को लेकर पार कर सकता है जैसा कि इस अनुसूची के लिए अनुबन्ध में विशिष्टिकृत है और इस प्रयोजन के लिए वह सीमा को सप्ताह में विशिष्टिकृत दो दिनों में से किए एक दिन में प्रत्येक निर्देशन में केवल एक बार पार कर सकता है और केवल उसी मार्ग से पार कर सकता है जो इसके लिए प्राधिकृत है। एक क्षेत्र में बाजार शर्तें एक सप्ताह के दिनों की संख्या में छूट देने के लिए उन व्यक्तियों के मामले में उचित समझती हैं जिनके पास विशेष अनुमति पत्र हैं, तो वे उस क्षेत्र में पार कर सकते हैं, इन अतिरिक्त दिनों पर दोनों देशों में संबद्ध समर्थ प्राधिकारियों के बीच परस्पर सहमति व्यक्त की जाएगी।

4. ऐसे माल वाहन, आयात-निर्यात और मुद्राविनिमय नियंत्रण प्रतिबन्धों के साथ साथ सीमाशुल्क कर तथा सीमाशुल्क औपचारिकताओं से मुक्त होंगे।

5. प्रत्येक व्यक्ति जब वह एक दूसरे के देश को पार कर रहा हो तो बांगला देश या भारतीय मुद्रा में 100 रुपये से अधिक नकद धन राशि नहीं ला सकता।

6. दोनों सरकार इस प्रकार की जांच का अनुपालन कर सकती है और उन्हें रोकने के उपाय अपना सकती है जिसमें इसकी जांच करने की बात भी शामिल है जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझा जाए कि दी गई छूटों को बढ़ाया नहीं जाता या उल्लंघन नहीं किया जाता।

7. ये करार इस शर्त के अधीन होंगे कि छः माह के बाद इनकी पुनरीक्षा इस बात पर विचार करने के लिए की जाए कि क्या इन्हें बढ़ाया जाना चाहिए या उन्हें किसी प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए यहां तक कि छः माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व भी यदि दोनों देश इसे तोड़ने या करार के अन्तर्गत सुविधाओं को आशाधित करने की आवश्यकता महसूस करें तो उन उपायों को अपनाने के लिए जिसे आवश्यक समझा जाए दूसरे देश के साथ शीघ्र परामर्श किया जाएगा।

अनुसूची 'बी' के लिए अनुबन्ध

II. मिजोराम – चटगांव पहाड़ी भूखण्ड क्षेत्र

मिजोराम से चटगांव		चटगांव से मिजोराम	
पण्य वस्तुओं का नाम	ले जाने के लिए स्वीकृत मात्रा	पण्य वस्तुओं का नाम	ले जाने के लिए स्वीकृत मात्रा
1. तिल के बीज	हेड लोड	1. गुड़	हेड लोड
2. कच्ची रूई	"	2. प्याज तथा लहसन	"
3. लाल मिर्च	"	3. ताजी तथा सूखी मछली	"
4. वन उत्पादन (जिसमें टिम्बर अनक्लास्ड ऐगर वूड, केन, छप्पर खाने की घास, जलावन की लकड़ी और बांस भी शामिल हैं)	नौका लदान बेड़ा या गाड़ी लदान	4. पोल्ट्री और अण्डे	"
5. ताजे फल	हेड लोड	5. सब्जी जिसमें आलू भी शामिल हैं	"
6. दूध तथा दूध उत्पाद		6. ताजे फल	"
		7. छेना तथा मिठाई	1 किलोग्राम
		8. सुपारी	1/2 किलो ग्राम
		9. पान के पत्ते	हेड लोड
		10. मसाले	2 किलो ग्राम
		11. मिट्टी के सामान	हेड लोड
		12. चाय	1/2 किलोग्राम

II.—खासी, जयन्तिया और गारो पहाड़ी—सिलहट मिमेनसिंह क्षेत्र

खासी, जयन्तिया और गारो पहाड़ियों से सिलहट और मिमेनसिंह का निर्यात		सिलहट और मिमेनसिंह से खासी, जयन्तिया पहाड़ियों तथा गारो पहाड़ियों को निर्यात	
पण्य वस्तुओं का नाम	ले जाने के लिए स्वीकृत मात्रा	पण्य वस्तुओं का नाम	ले जाने के लिए स्वीकृत मात्रा
1. ताजे फल	हेड लोड	1. ताजी तथा सूखी मछली	हेड लोड
2. सब्जी जिसमें आलू भी शामिल हैं	"	2. पोल्ट्री तथा अंडे	"
3. वन उत्पाद (जिसमें टिम्बर अनक्लास्ड एगर वुड, केन, चप्पर छाने की घास, जलावन की लकड़ी और बांस भी शामिल हैं)	नौका लदान, बेड़ा या गाड़ी लदान	3. सब्जी	"
		4. सुपारी	"
		5. पान के पत्ते	"
		6. मसाले	2 कि० ग्रा०
4. अदरक, हल्दी, लाल मिर्च और तेज पात्र	हेड लोड	7. छेना तथा मिठाई	1 किलोग्राम
		8. ताजे फल	हेड लोड
5. प्याज	"		
6. तम्बाकू	"		
7. दूध तथा दूध उत्पाद	"		
8. चूना तथा चूना पत्थर	"		
9. शिंगल्स तथा बोल्डर्स	नौका, बेड़ा या गाड़ी लदान		
10. बालू	हेड लोड		
11. पान के पत्ते	"		
12. सरसों का तेल	1 किलोग्राम		
13. सरसों के बीज	हेड लोड		

3. कच्छार—सिलहट क्षेत्र

कच्छार से सिलहट को निर्यात		सिलहट से कच्छार को निर्यात	
पण्य वस्तुओं का नाम	ले जाने के लिए स्वीकृत मात्रा	पण्य वस्तुओं का नाम	ले जाने के लिए स्वीकृत मात्रा
1. वन उत्पाद जिसमें टिम्बर अनूक्लास्ड, ऐगरवुड, केन, छप्पर छाने की घास, जलावन की लकड़ी और बांस भी शामिल है)	नौका लदान, बेड़ा या गाड़ी लदान	1. ताजे तथा सूखी मछली	हेड लोड
		2. पोल्ट्री तथा अंडे	"
		3. साबुन (धुलाई के लिए)	1/2 किलो ग्राम
		4. मसाले जिसमें अदरक भी शामिल है	2 किलो ग्राम
		5. प्याज तथा लहसन	हेड लोड
2. मिट्टी तेल	एक बोतल	6. ताजे फल	"
3. सब्जी (जिसमें आलू भी शामिल है)	हेड लोड	7. सब्जी	"
4. दूध तथा दूध उत्पाद	"	8. छैना और मिठाई	1 किलो ग्राम
5. साबुन (धुलाई के लिए)	1/2 किलो ग्राम		

4. त्रिपुरा बांगला देश क्षेत्र

त्रिपुरा से बांगलादेश को निर्यात		बांगलादेश से त्रिपुरा को निर्यात	
पण्य वस्तुओं का नाम	ले जाने के लिए स्वीकृत मात्रा	पण्य वस्तुओं का नाम	ले जाने के लिए स्वीकृत मात्रा
1. सब्जी (जिसमें आलू भी शामिल है)।	हेड लोड	1. पोल्ट्री तथा अंडे	हेड लोड
		2. छैना तथा मिठाई	1 कि० ग्रा०
2. दूध तथा दूध उत्पाद	,,	3. ताजी तथा सूखी मछली.	हेड लोड
3. वन उत्पाद (जिसमें टिम्बर अनूक्लास्ड, ऐगरबुड केन, छप्पर छाने की घास, जलावन की लकड़ी और बांस भी शामिल हैं)	नौका लादान घोड़ा या गाड़ी लदान	4. सब्जी	,,
		5. प्याज तथा लहसन	,,
		6. नारियल (सूखे तथा हरे)	,,
		7. ताजे फल	,,
4. तिल के बीज	हेड लोड	8. चना तथा दाल	
5. ताजे फल	,,	9. पान के पत्ते	,,
6. चना तथा दाल	,,	10. मसाले	2 कि० ग्रा०
7. मिट्टी तेल	1 बोतल		

5. रंगपुर (बांगला देश)—असम (सीमावर्ती जिला) कूच बिहार/जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) क्षेत्र।

असम (रंगपुर के लिए सीमावर्ती जिले), कूच बिहार जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) से रंगपुर (बांगला देश) को निर्यात		रंगपुर (बांगला देश) से असम (रंगपुर के लिए सीमावर्ती जिला) कूच बिहार, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल) को निर्यात	
पण्य वस्तुओं का नाम	ले जाने के लिए स्वीकृत मात्रा	पण्य वस्तुओं का नाम	ले जाने के लिए स्वीकृत मात्रा
1. ताजे फल	हेड लोड	1. मछली	हेड लोड
2. सब्जी (जिसमें आलू भी शामिल है)	,,	2. पोल्ट्री तथा अण्डे	,,
3. मसाले	2 कि० ग्रा०	3. तम्बाकू	1 कि० ग्रा०
4. जलावन की लकड़ी	हेड लोड	4. नारियल	हेड लोड
5. दूध तथा दूध उत्पाद	,,	5. पान के पत्ते	,,
6. तम्बाकू	1 कि० ग्रा०	6. मसाले	2 कि० ग्रा०
7. बांस	नौका लदान, बेड़ा या गाड़ी लदान	7. नमक	1 कि० ग्रा०
		8. मवेशियों के लिए चारे	हेड लोड
		9. बांस	हेड लोड, बेड़ा या गाड़ी लदान
8. सरसों तेल	1 कि० ग्रा०	10. छप्पर छाने की घास	,,
9 धुलाई के लिए साबुन	1/2 कि०ग्रा०	11. होगला लिन्ज	हेड लोड
10. सरसों बीज/तोरी बीज	हेड लोड	12. जलावन की लकड़ी	,,
11. नारियल का तेल	1 कि० ग्रा०	13. गुड़	,,
		14. छैना और मिठाई	,,

6. बांगला देश के शेष भाग—पश्चिमी बंगाल के शेष भाग

पश्चिम बंगाल से बांगला देश को निर्यात		बांगला देश से पश्चिम बंगाल को निर्यात	
पण्य वस्तुओं का नाम	ले जाने के लिए स्वीकृत मात्रा	पण्य वस्तुओं का नाम	ले जाने के लिए स्वीकृत मात्रा
1. ताजे फल	हेड लोड	1. मछली	हेड लोड
2. सब्जी	"	2. पोल्ट्री तथा अण्डे	"
3. मसाले	2 कि० ग्रा०	3. नारियल	"
4. दूध तथा दूध उत्पाद	हेड लोड	4. मसाले	2 कि० ग्रा०
5. चने तथा दाल	"	5. पान के पत्ते	हेड लोड
6. गुड़	"	6. चारा/मवेशी	"
7. जलावन की लकड़ी	नौका लदान, बेड़ा या गाड़ी लदान	7. गोल पत्ता	"
		8. छैना और मिठाई	"
8. बांस	"	9. ताजे फल	"
9. छप्पर छाने की घास	"	10. सब्जी	"
10. सिमल की रूई	हेड लोड	11. होगला लिब्ज	"
11. सरसों तेल	1 कि० ग्रा०	12. जलावन की लकड़ी	"
12. सरसों बीज/ तोरी बीज	हेड लोड	13. ब्रूम स्टीक	"
		14. सिमल की रूई	"
13. नारियल का तेल	1 कि० ग्रा०	15. गुड़	"
		16. बांस	नौका बेड़ा या गाड़ी लदान
		17. छप्पर छोने की घास	"

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972